प्रथम अपीलीय अधिकारी
कार्यालय सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर।

सूचना का अधिकार अपील संख्या 06/2024

अपीलार्थी	बनाम	**रेस्पोडेन्टस**
श्री राजेन्द्रसिंह भाटी, अभिभाषक, माँ बाला सती लॉ एसोसिएट,रावत शापिंग माल, बाल मंदिर स्कूल के पास, सरादरशहर, जिला चुरू		लोक सूचना अधिकारी (अति0 संभागीय आयुक्त) कार्यालय सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

प्रथम सूचना अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

उपस्थितिः–
1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट लोक सूचना अधिकारी(अति0 संभागीय आयुक्त,जोधपुर) उपस्थित।

निर्णय

दिनांक 5 दिसम्बर,2024

अपीलार्थी के द्वारा कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी (अति0 संभागीय आयुक्त, जोधपुर) के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 27.08.2024 को प्रेषित आवेदन में इस कार्यालय के समक्ष दिनांक 01.01.2022 से दिनांक 17.08.2024 तक पेट्रोलियम नियम 2002 की धारा 150, 152 व 154 के तहत प्राप्त हुई अपीलों का सम्पूर्ण विवरण तथा दिनांक 17.8.2024 तक कितनी अपीले लम्बित है, कुल कितनी अपीलों का निस्तारण किया गया, का संख्यात्मक विवरण व निस्तारित की गई अपीलों में आपके द्वारा जारी आदेश/ किया गया निर्णय, की प्रमाणित प्रतियॉ, लम्बित अपीलों में कुल कितनी समयावधि से लम्बित है, का सम्पूर्ण विवरण, किन प्रावधानों के तहत दो माह से अधिक समय से लम्बित रखी जा सकती है, के प्रावधानों/ नियमावलियों की प्रमाणित प्रतियॉ, धारा 150, 152 व 154 के तहत प्राप्त अपीलों का निस्तारण के लिये निर्धारित समयावधि का पूर्ण विवरण तथा प्रात अपीलों का निस्तारण 60 दिवस से अधिक समय में किया जा सकता है, के सम्बन्ध में जारी नियमों/ आदेशों/ दिशा–निर्देशों की प्रमाणित प्रतियॉ व किन परिस्थितियों में उक्त समयावधि को स्वविवेक से बढाया जा सकता है, का सम्पूर्ण विवरण की प्रमाणित प्रतियॉ, उन नियमों/प्रावधानों की प्रमाणित प्रतियॉ जिनके तहत प्राप्त अपीलों की सुनवाई हेतु 02 माह से अधिक समयावधि की सुनवाई दिनांक प्रदान की जा सकतीं है, का सम्पूर्ण विवरण मय प्रावधानों सहित सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 07 का अनुसरण करते हुए उक्तानुसार सूचना उपलब्ध करवाने हेतु निवेदन किया गया। इस कार्यालय के लोक

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

सूचना अधिकार अपील संख्या 06/2024 राजेन्द्रसिंह बनाम अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

सूचना अधिकारी द्वारा नियत समयावधि में सूचनाए उपलब्ध नहीं कराये जाने जाने के आधार पर अपीलान्ट द्वारा अपने प्रस्तुत आवेदन दिनांक 27.8.2024 के अनुसार सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के तहत दिनांक 04.11.2024 को यह प्रथम सूचना अपील प्रेषित कर लोक सूचना अधिकारी को उपरोक्त सूचनाएं धारा 7(9) के तहत नियमानुसार अविलम्ब व निःशुल्क उपलब्ध करवाने के निर्देश देने हेतु निवेदन किया है।

अपीलार्थी की प्रथम सूचना अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी कार्यालय हाजा से अपील पर टिप्पणी एवं संधारित पत्रावली तलब की गई तथा सुनवाई हेतु दिनांक 25.11.2024 नियत की जाकर तथा अपीलार्थी को भी सुनवाई बाबत नोटिस जारी किया गया। निर्धारित सुनवाई तिथी को अपीलान्ट सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुए।

अपीलान्ट की अपील पर लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय हाजा ने अपने पत्रांक एडीसी/सू0अ0/प्र.अ./2024/165 दिनांक 20.11.2024 को मूल पत्रावली व टिप्पणी प्रेषित करते हुए अवगत कराया है कि आवेदक के प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 02.09.2024 के सम्बन्ध में सम्भागीय आयुक्त न्यायालय शाखा से टिप्पणी चाही गई जिस पर शाखा द्वारा आवेदन के अनुसार टिप्पणी प्राप्त की गई तथा आवेदक को कार्यालय में उपलब्ध रेकर्ड अनुसार 02 पेज की सूचना प्राप्त करने हेतु प्रतिलिपि शुल्क नकद/भारतीय पोस्टल आर्डर जमा करवाने हेतु पत्र कमांक 129 दिनांक 11.09.2024 द्वारा सूचित किया गया। आवेदक द्वारा आज दिनांक तक प्रतिलिपी शुल्क जमा नहीं करवाया गया, बिना प्रतिलिपि शुल्क के सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती है। अतः निवेदन है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के सम्बन्ध में समस्त कार्यवाही इस कार्यालय द्वारा की जा चुकी है तथा आवेदक को भी रजिस्टर्ड डाक द्वारा निर्धारित समयावधि में सूचित किया गया है। प्रथम अपील सारहीन होने से खारिज की जावें।

हमने अपीलार्थी की अपील एवं लोक सूचना अधिकारी की ओर से प्रेषित टिप्पणी का अध्ययन एवं मनन किया, संधारित प्रकरण की पत्रावली का एवं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अवलोकन किया गया जिसके अवलोकन से यह पाया गया है कि आवेदक/प्रार्थी के द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र दिनांक 27.08.2024 प्राप्ति दिनांक 02.09.2024 के अनुसार कार्यालय से चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय हाजा द्वारा सम्बन्धित शाखा से टिप्पणी/सूचनाए प्राप्त कर 02 पेज की सूचना प्राप्त करने हेतु प्रतिलिपि शुल्क जमा करवाने हेतु पत्र कमांक 129 दिनांक 11.09.2024 द्वारा सूचित किया जाना तथा आवेदक द्वारा प्रतिलिपी

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

शुल्क जमा नहीं करवाया जाना पत्रावली से प्रकट होता है। ऐसे में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट की अपील आधारहीन होने से अस्वीकार की जाती है। अपीलान्ट अपने आवेदन के अनुसार सूचना प्राप्त करना चाहे तो कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी के समक्ष वांछित प्रतिलिपि शुल्क जमा करवाकर सूचना प्राप्त कर सकते है तथा उन्हें उपलब्ध सूचनाएं नियमानुसार उपलब्ध करवा दी जावें। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को भी प्रेषित की जावें।

(डॉ. प्रतिभा सिंह)
सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर

संभागीय आयुक्त
जोधपुर